भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3169
दिनांक 13, दिसम्बर 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को वित्तीय सुरक्षा

3169. **श्री बलवंत बसवंत वानखडेः**

क्या **महिला और बाल विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत छह वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(ख) क्या महाराष्ट्र सहित कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से निकटवर्ती आंगनवाड़ी केन्द्र का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय में वृद्धि करने का अनुरोध किया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है,
(घ) क्या केन्द्र सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लाभार्थ कोई बीमा/सामाजिक सुरक्षा योजना भी शुरू की है,
(ङ) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए वित्तीय मुआवजे का ब्यौरा क्या है, और
(च) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त योजना से लाभान्वित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) : देश भर में आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत और आधार सत्यापित छह वर्ष से कम आयु के कुल बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की राज्य-वार संख्या **अनुलग्नक- I** में दी गई है।

(ख) और (ग) : मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अधिदेश के अनुसार, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू) और एक आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्यूएच) तथा लघु आंगनवाड़ी केंद्र में एक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती है। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी सेवाएं एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

केंद्र सरकार नीति और योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है और राज्य सरकारें दिन-प्रतिदिन के कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। भारत सरकार मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों (एडब्ल्यूसी) की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को प्रति माह 4,500 रुपये और लघु आंगनवाड़ी केन्द्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू) को 3,500/- रुपये प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2,250/- रुपये प्रति माह की दर से मानदेय प्रदान करने के लिए परिभाषित लागत साझाकरण अनुपात के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करती है ।

(घ) से (च) : प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 2.00 लाख रुपये (जीवन जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करता है) का बीमा लाभ प्रदान किया गया है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 18-59 वर्ष की आयु वर्ग में 2.00 लाख रुपये (दुर्घटनावश मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख रुपये (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) का दुर्घटना कवर प्रदान किया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कवर की गई आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या **अनुलग्नक- II में** दी गई है।

अंतरिम बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत 5 लाख रुपये का वार्षिक स्वास्थ्य सेवा कवरेज देने की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली जहां राज्य सरकारें एबी-पीएमजेएवाई को कार्यान्वित नहीं कर रही हैं, को छोड़कर सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 8.15 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। पीएम-जेंवाई के तहत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक- III** में दिया गया है।

कोविड-19 का मुकाबला कर रहे स्वास्थ्य देखरेख कर्मियों के लिए बीमा योजना, 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी)' 30 मार्च, 2020 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क में आने वाले उनकी देखरेख करने वाले तथा प्रभावित होने के जोखिम वाले सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित 22.12 लाख स्वास्थ्य देखरेख प्रदाताओं को 50 लाख रुपये का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करना है।

इस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 64 दावों का निपटारा किया गया है और प्रति दावे 50,00,000 रुपये की दर से 32 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कवर की गई कुल आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का विवरण **अनुलग्नक- IV** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक-I

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को वित्तीय सुरक्षा" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखेडे द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (09.12.2024 तक) निम्नानुसार है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्तनपान कराने वाली माताएं	गर्भवती महिलाएं	6 वर्ष तक के बच्चे
आंध्र प्रदेश	211327	213679	2474100
अरुणाचल प्रदेश	1724	1991	80742
असम	99452	149013	2701159
बिहार	398707	550917	9197623
छत्तीसगढ़	124972	170588	2135976
गोवा	3950	3207	46523
गुजरात	194979	200724	2877109
हरियाणा	105202	107239	1636892
हिमाचल प्रदेश	34969	33380	450523
झारखंड	101675	152666	2750318
कर्नाटक	231143	312110	3575543
केरल	94885	112211	1778363
मध्य प्रदेश	351574	416624	6236593
महाराष्ट्र	292754	289859	5696339
मणिपुर	7167	9226	260681
मेघालय	7059	7335	343246
मिजोरम	3572	5349	101985

नागालैंड	1104	877	102278
ओडिशा	211743	275535	3254683
पंजाब	96590	82939	1348160
राजस्थान	254649	293513	3467301
सिक्किम	1379	1269	28525
तमिलनाडु	244343	265302	3383663
तेलंगाना	69218	97665	1675337
त्रिपुरा	9913	14994	283891
उत्तर प्रदेश	1083107	1385404	18527317
उत्तराखंड	53599	57576	605347
पश्चिम बंगाल	425238	501537	7317200
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	652	727	10140
दादरा और नगर हवेली - दमन एवं दीव	2260	3008	30500
दिल्ली	62510	56930	485858
जम्मू एवं कश्मीर	45949	46505	734164
लद्दाख	894	774	16165
लक्षद्वीप	401	396	3440
पुद्दुचेरी	3062	2725	27146
संघ राज्य क्षेत्र-चंडीगढ़	2996	3148	33633
कुल	**4834718**	**5826942**	**83678463**

अनुलग्नक-II

“आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को वित्तीय सुरक्षा” के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखेडे द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्यो/ संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए 18-50 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या	पीएमएसबीवाई के अंतर्गत कवरेज के लिए 18-59 वर्ष आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	40683	54731
2	बिहार	87828	107148
3	छत्तीसगढ़	33534	44089
4	गोवा	721	1069
5	गुजरात	22352	30330
6	हरियाणा	13921	20341
7	हिमाचल प्रदेश	14438	18925
8	जम्मू एवं कश्मीर	19175	24133
9	झारखंड	28599	35973
10	कर्नाटक	52733	60620
11	केरल	7287	13322
12	मध्य प्रदेश	69624	91205
13	महाराष्ट्र	62143	93074
14	ओडिशा	55921	71510
15	पंजाब	13747	22586
16	राजस्थान	41241	53281
17	तमिलनाडु	35352	43953

18	तेलंगाना	23816	31315
19	उत्तर प्रदेश	98627	141449
20	उत्तराखंड	18278	20069
21	पश्चिम बंगाल	77402	91906
22	अंडमान और निकोबार द्वीप	353	387
23	चंडीगढ़	263	187
24	दादरा एवं नगर हवेली/दमन एवं दीव	336	403
25	लक्षद्वीप	0	0
26	दिल्ली	8034	10016
27	पुद्दुचेरी	408	595
28	अरुणाचल प्रदेश	687	603
29	असम	45091	60996
30	मणिपुर	11373	11523
31	मेघालय	5033	863
32	मिजोरम	2244	2244
33	नागालैंड	3520	3980
34	सिक्किम	944	1168
35	त्रिपुरा	10205	10222
36	लद्दाख	950	950
	कुल	**906863**	**1175166**

अनुलग्नक-III

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को वित्तीय सुरक्षा" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखेडे द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएम-जेएवाई के तहत कुल लाभार्थियों (एडब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यूएच)की संख्या जिनके आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	453
2	आंध्र प्रदेश	42523
3	अरुणाचल प्रदेश	1544
4	असम	59391
5	बिहार	68581
6	छत्तीसगढ़	67829
7	दादरा और नगर हवेली - दमन एवं दीव	507
8	गोवा	629
9	गुजरात	49002
10	हरियाणा	17657
11	हिमाचल प्रदेश	8128
12	जम्मू एवं कश्मीर	34498
13	झारखंड	31755
14	कर्नाटक	48479
15	केरल	24444
16	लद्दाख	1449
17	लक्षद्वीप	64
18	मध्य प्रदेश	102411

19	महाराष्ट्र	70365
20	मणिपुर	5739
21	मेघालय	4523
22	मिजोरम	2376
23	नागालैंड	4591
24	पुद्दुचेरी	395
25	पंजाब	18481
26	राजस्थान	34874
27	सिक्किम	1227
28	तमिलनाडु	6990
29	तेलंगाना	15505
30	त्रिपुरा	7940
31	संघ राज्य क्षेत्र -चंडीगढ़	370
32	उत्तर प्रदेश	65176
33	उत्तराखंड	18065
	कुल	**815961**

अनुलग्नक- IV

"आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को वित्तीय सुरक्षा" के संबंध में श्री बलवंत बसवंत वानखेडे द्वारा दिनांक 13.12.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3169 के भाग (घ) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य	आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा किए गए कुल दावों का भुगतान
आंध्र प्रदेश	**2**
छत्तीसगढ़	**2**
कर्नाटक	**2**
महाराष्ट्र	**1**
पंजाब	**1**
राजस्थान	**32**
तेलंगाना	**24**
कुल	**64**

*****